उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या : 5/2025/256/94-स्टा०नि०-2-2025-700(17)/2025
लखनऊ, दिनांक : 04 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के अधीन **उत्तर प्रदेश एअरोस्पेस तथा रक्षा ईकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2024** के **प्रस्तर-9(ख)(दो)** के उपबन्धानुसार उक्त नीति में यथावर्णित पात्र परियोजनाओं को नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 में दर्शित लिखत के सम्बन्ध में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में, नीचे अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित सीमा तक छूट प्रदान करते हैं :-

उत्तर प्रदेश एअरोस्पेस तथा रक्षा ईकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2024	प्रयोजन	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति
1	2	3	4
प्रस्तर-9(ख)(दो)	नीति में यथा-वर्णित पात्र परियोजनाओं को भूमि क्रय करने अथवा पट्टे पर लेने पर	100%	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-23 के खण्ड–(क) के अधीन हस्तान्तरण एवं अनुच्छेद-35 के अधीन पट्टा

इस अधिसूचना के अधीन उक्त छूट निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगी :-

1- इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी उपलब्ध होगी जबकि संबंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन से महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/उपायुक्त, उद्योग लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करें कि विलेख का निष्पादन उत्तर प्रदेश एअरोस्पेस तथा रक्षा ईकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2024 के अधीन हो रहा है तथा उक्त प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी करेंगे।

2- स्टाम्प शुल्क के समतुल्य धनराशि की अप्रतिसंहरणीय बैंक गारण्टी सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट के पक्ष में ऐसे विलेख के रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। बैंक गारण्टी की विधिमान्यता अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

3- इस अधिसूचना में उल्लिखित उपबन्ध, इस नीति के प्रख्यापन से सम्बन्धित अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आई०आई०डी०सी०) की अधिसूचना सं०-04/2025/192/77-6-2025-एल०सी०03/2018, दिनांक 24.01.2025 के निर्गत किये जाने के दिनांक से 5 वर्ष के लिए प्रवृत्त होंगे। उक्त नीति के किन्हीं कारणों से समाप्त होने की दशा में, इस अधिसूचना के अधीन छूट, उक्त नीति के प्रत्याहरण के दिनांक से स्वतः प्रतिसंहृत समझी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 5/2025/256(1)/94-स्टा०नि०-2-2025-700(17)/2025, दिनांक: 04 अप्रैल, 2025

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 04 अप्रैल, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र० लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आशीष कुमार
विशेष सचिव।

संख्या: 5/2025/256(2)/94-स्टा०नि०-2-2025-700(17)/2025, दिनांक: 04 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज।
2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
4- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उ०प्र० कानपुर।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
8- महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।
9- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
10- समस्त अपर जिलाधिकारी, (वि०/रा०) पदेन जिला निबंधक, उ०प्र०।
11-समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त उद्योग, उ०प्र०।
12-समस्त उप महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र०।
13-समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन/जनपदीय उपायुक्त उद्योग, उ०प्र०।
14-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 5/2025/256/94-SR-2-2025-700(17)/2025 dated 04 April, 2025:

Notification

Order

No. 5/2025/256/94-SR-2-2025-700(17)/2025
Lucknow, Dated : 04 April, 2025

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit the stamp duty, under this notification, chargeable in respect of the instrument shown in column-4 of the Schedule below, in accordance with the provisions of paragraph 9(B)(ii) of the Uttar Pradesh Aerospace and Defence Unit and Employment Promotion Policy, 2024 to the eligible projects as described in the aforesaid policy, to the extent mentioned in column-3 of the Schedule below.

Uttar Pradesh Aerospace and Defence Unit and Employment Promotion Policy, 2024	**purpose**	**Extent of Remission**	**Nature of Instruments**
1	**2**	**3**	**4**
Paragraph 9(B)(ii)	To the eligible projects as described in the policy on the purchase or lease of the land	100%	Conveyance under clause (a) of Article 23 and lease under Article 35 of the schedule 1(B), Indian Stamp Act, 1899

The aforesaid exemption under this notification is subject to the following terms and conditions :-

1. The exemption of the notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre/Deputy Commissioner Industries with the approval of the District Magistrate of the concerned district shall confirm in the instrument that the deed is being executed under Aerospace and Defence Unit and Employment Promotion Policy, 2024 and also sign as a witness for the said purpose.

2. Irrevocable Bank Guarantee of the amount equivalent to the remission of stamp duty in favour of the District Magistrate of the concerned district shall be presented before the registration officer at the time of the registration of

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

such deed. The validity period of the bank guarantee should not be less than 5 years.

3. The provisions mentioned in this notification will remain in force for 5 years from the date of the issuance of Notification no. 04/2025/192/77-6-2025-L.C.03/2018 dated 24-01-2025 of the Infrastructure and Industrial Development Department (IIDC), related to the promulgation of this policy. In case the aforesaid policy comes to end by any means, the remission under this notification shall be considered to be revoked by itself from the date of the withdrawal of the aforesaid policy.

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।